राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2018/ 2690 दिनांक : 12/2/2018

मैसर्स एन.एस. पब्लिसिटी
इण्डिया प्राईवेट लि.
जयपुर

विषय:– स्वच्छ भारत मिशन के तहत DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर जयपुर एवं अजमेर में स्थित कियोस्क (दोनों साईड) पर विज्ञापन प्रदर्शन के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर जयपुर एवं अजमेर में स्थित कियोस्क (दोनों साईड) पर विज्ञापन प्रदर्शन आमजन में जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार–प्रसार के लिए कराया जाना है।

Directorate of Advertising & Visual Publicity (Ministry of Information & Broadcasting) New Delhi द्वारा जारी आदेश क्रमांक DD(OP)/RC-1/ Kiosks/2016-17 Date 05.05.2017 द्वारा राजस्थान के जयपुर एवं अजमेर में स्थित कियोस्क (दोनो साईड) पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु फर्म M/s N S Publicity India Pvt. Ltd. 7th Floor, C 23 A, Shakun Emporia, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur को क्रमशः दिनांक 31.03.2019 एवं 31.03.2020 तक अधिकृत किया जाकर प्रतिमाह निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई है:–

S.No.	Media	Location	Quality	Display Size (in ft)	Approved Rate* (per Kiosk per Month)	Validity (upto)
1	Kiosks (double side)	Jaipur, Rajasthan	2966 Nonlit	3.33' x 2.5'	Rs 1000/-	31.03.2019
2		Ajmer, Rajasthan	1941 Nonlit		Rs 700/-	31.03.2020

- Service tax extra, as applicable. (वर्तमान में GST लागू)

उपरोक्तानुसार DAVP में सूचीबद्ध आपकी फर्म द्वारा विभाग में प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 25.01.2018 को विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। आप उपरोक्तानुसार संलग्न अनुमोदित डिजाईन के अनुसार DAVP दरों पर जयपुर व अजमेर कियोस्क पर तीन माह हेतु (15.02.2018 से 14.05.2018 तक) प्रति स्थान 1000 कियोस्क पर तीन माह तक निम्न शर्तो के अध्याधीन कार्य प्रारम्भ कर विज्ञापन प्रदर्शित करें।

1. DAVP द्वारा जारी आदेश क्रमांक DD(OP)/RC-1/ Kiosks/2016-17 Date 05.05.2017 में अंकित निर्धारित समस्त शर्तो की पालना करनी होगी।
2. फर्म द्वारा निर्धारित डिजाईन की बताये गये स्थल कियोस्क पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार फ्लैक्स लगाना होगा।
3. कियोस्क की वास्तविक लम्बाई व चौड़ाई (30x40) इंच की गणना की जावेगी।
4. फ्लैक्स पेस्टिंग/फिक्सिंग के कार्य में प्रिन्टिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेस्टिंग/फिक्सिंग में कोई सलवट इत्यादि नहीं होनी चाहिए।

5. कियोस्क पर लगाये गये फ्लैक्स के भुगतान का बिल मय कियोस्क की फोटोग्राफ मय दिनांक एवं लोकेशन फर्म दस्तावेज सहित निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।

6. निदेशालय द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय से प्राप्त प्रमाण–पत्र के आधार पर कार्य का सत्यापन किया जायेगा, जिसके सत्यापन उपरान्त भुगतान की अभिशंषा की जावेगी।

7. आवश्यकता पड़ने पर निदेशालय द्वारा गठित प्रमाणन कमेटी भी उक्त कार्य का सत्यापन कर सकेगी।

8. कार्य को निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा। क़ार्यादेश दिये जाने के तुरन्त पश्चात् कार्य प्रारम्भ क़िया जावेगा।

9. कार्य में देरी की स्थिति में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।

10. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी। जिस हेतु निदेशक अधिकृत होंगे। उक्त कार्य के दौरान 3rd Party की Risk एव Liability स्वयं फर्म की रहेगी।

11. RTPP Act 2012 /Rule 2013 के समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।

12. विवाद की स्थिति में निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

13. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एंव संयुक्त सचिव

क्रमांकःपीआरओ/डीएलबी/2018/2691-2897 दिनांक : 12/2/2018
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर व अजमेर।
8. आयुक्त नगर निगम जयपुर व अजमेर।

जनसम्पर्क अधिकारी
12/2